२ अक्टूबर १९६९ को भारतवर्ष की भूमि ने एक ऐसे विराठ व्यक्तित्व को जन्म दिया, जिसने न सिर्फ भारतीय इतिहास को बदला बल्कि पूरे संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वे महान आत्मा थे हमारे राष्ट्रपिता सहस्त्राब्दी पुरुष से विभूषित महात्मा गाँधी ने मानव मात्र की स्वतंत्रता के लिये अपने जीवन का बलिदान कर दिया। ऐसे युग पुरुष को मेरा शत-शत नमन हैं और मेरा यह लेख उन्हें एक वैचारिक श्रद्धांजलि के रुप में समर्पित है।

मेरा मानना है कि 'गाँधी कोई व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, ऐसे जीवन दर्शन की व्याख्या सहस्त्रों मुखों से भी नहीं की जा सकती। फिर भी मैने विवेचनागत अध्ययन की सुगमता हेतु इस विराठ व्यक्तित्व की व्याख्या कतिपय बिन्दुओं के माध्यम से की है, जो कि मेरा गंगा के अंजुलि भंर जल से सूर्य को अर्ध्य देने जैसा प्रयास हैं-

गांधी जी ने कहा, 'सत्य केवल शब्दों की सत्यता ही नहीं बल्कि विचारों की सत्यता भी हैं और हमारी अवधारणा का सापेक्षिक सत्य ही नहीं है बल्कि निरपेक्ष सत्य भी है, जो ईश्वर ही है।' गांधी जी ने सत्य को निरपेक्ष सत्य के रूप में ग्रहण किया हैं। वे सत्य को ईश्वर का पर्यायवाची मानते हैं और इसी सत्य के प्रति उनकी निष्ठा भी है। हमारे अस्तित्व का एकमात्र औचित्य यह है कि हमारी समस्त गतिविधि सत्य पर केन्द्रित होनी चाहिए। सत्य ही हमारे जीवन का प्राण तत्व होना चाहिए। क्योंकि सत्य के बिना व्यक्ति अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, यह जरूर हो सकता है कि उसे सफलता मिल जाये लेकिन आन्तरिक शान्ति प्राप्त नहीं होगी।

गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने अहिंसा को सत्य को चरितार्थ करने का साधन माना। उनके अनुसार, 'निरंतर अहिंसा का पालन करने का मतलब अन्त में सत्य को प्राप्त करना है किन्तु हिंसा के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अहिंसा में मेरी अधिक आस्था है, सत्य स्वाभाविक रूप से मिला लेकिन अहिंसा को मैंने एक संघर्ष के बाद पाया है।' अहिंसा का अर्थ हैं : प्रेम एवं त्याग। अहिंसा मरने की कला सिखाती है मारने की नही। यही कारण है कि दुनिया की कोई भी शक्ति अहिंसा का मुकाबला नहीं कर सकती है। गांधी जी ने देखा कि निजी जीवन में अहिंसा और बाहरी जीवन में हिंसा ये दो चीजें साथ-साथ नहीं चल सकती । इसलिए उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अहिंसा के पालन का आग्रह किया। उन्होंने कहा- 'हम लोगों के दिल में इस झूठी मान्यता ने घर कर लिया है कि

वास्तव में ऐसी बात नहीं, अहिंसा सामाजिक धर्म है और वह सामाजिक, धर्म के रूप में विकसित की जा सकती है। सामान्य भाषा में हिंसा किसी प्राणी का प्राण हरण या उसे किसी प्रकार का कष्ट देना ही है क्योंकि हमारा जीवन ही किसी न किसी रूप में हिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मनना है कि अहिंसा और सत्य के समन्वय से तुम संसार को झुका सकते हो, अहिंसा सर्वोच्च प्रकार की सक्रिय

शक्ति है। यह आत्मबल या यों कहें यह हमारे अन्दर देवत्व का फल है। अपूर्ण मनुष्य उस समस्त सारतत्व को ग्रहण नहीं कर सकता, वह उसकी सम्पूर्ण जीत को तो क्या उसके सूक्ष्म को भी सहन नहीं कर सकता और जब यह जीत क्रियाशील हो जाती है तो आश्चर्यजनक काम करती है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून भंग करने कि नीति शुरू करने के पूर्व तक संसार 'निःशस्त्र प्रतिकार' अथवा निष्क्रिय प्रतिरोध (पैसिव रेजिस्टेन्स) की युद्धनीति से ही परिचित था। इसकी वजह केवल काले एवं गोरे के बीच भेद भाव था। यदि प्रतिपक्षी की शक्ति हमसे अधिक है तो सशब्ब विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वे अहिंसा को मानते थे इसलिए वे यह लड़ाई लड़ रहे थे। सबल प्रतिपक्षी से बचने के लिए 'निःशस्त्र प्रतिकार' की युद्धनीति का अवलंबन किया जाता था। गांधी जी ने इंग्लैण्ड में स्त्रियों में मताधिकार प्राप्त करने के लिए इसी 'निःशस्त्र प्रतिकार' का मार्ग अपनाया था।

इस प्रकार प्रतिकार में प्रतिरक्षी पर शस्त्र से आक्रमण करने की बात को छोड़कर उसे दूसरे हर प्रकार से तंग करना, छल कपट से उसे हानि पहुँचाना, अथवा उसके शत्रु से संधि करके उसे नीचा दिखाना आदि उचित समझा जाता था।

गांधी जी को इस प्रकार की दुर्नीति पसंद नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन की कार्यपद्धति बिल्कुल भिन?न थी। उनका सारा दर्शन ही भिन्न था। अतः अपनी युद्धनीति के लिए उनको नए शब्द की आवश्यकता महसूस हुई। सही शब्द प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता की, जिसमें ने एक शब्द सुझाया जिसमें थोड़ा परिवर्तन करके गांधी जी ने शब्द स्वीकार किया। अमेरीका के दार्शनिक ने जिस सिविल डिसओबिडियेन्स (सविनय अवज्ञा) की टेकनिक का वर्णन किया है, 'सत्याग्रह' शब्द उस प्रक्रिया से मिलता जुलता था?

'सत्याग्रह' का मूल अर्थ हैं; सत्य के प्रति आग्रह (सत्य आग्रह)। सत्यको पकड़े रहना और इसके साथ अहिंसा को मानना। अन्याय का सर्वथा विरोध करते हुए अन्यायी के प्रति बैरभाव न रखना, सत्याग्रह का मूल लक्षण है। हमें सत्य का पालन करते हुए निर्मयतापूर्वक मृत्यु का वरण करना चाहिए और मरते मरते भी जिसके विरूद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं, उसके प्रति बैरभाव या क्रोध नहीं करना चाहिए।'

'सत्याग्रह' में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। वे अहिंसावादी थे। धैर्य एवं सहानुभूति से विरोधी को उसकी गलती से मुक्त करना चाहिए, क?योंकि जो एक को सत्य प्रतीत होता है, वहीं दूसरे को गलत दिखाई दे सकता है। धैर्य का तात्पर्य कष्टसहन से है। इसलिए इस सिद्धान्त का अर्थ हो गया, 'विरोधी को कष्ट अथवा पीड़ा देकर नहीं, बल्कि स्वयं कष्ट उठाकर सत्य का रक्षण।'

भारत की आजादी की लड़ाई की यह विशेषता रही है कि इस लड़ाई के अग्रणी नेता महात्मा गांधी ने उस लड़ाई में राजनैतिक आजादी के साथ-साथ सम्पूर्ण सामाजिक समता की स्थापना का लक्ष्य भी सामने रखा था। भारत गुलाम क्यों बना, इसके कारणों की खोज करते हुए उन्होंने पाया कि जाति भेद, अस्पृश्यता, सामाजिक अन्याय, महिलाओं का गौण दर्जा, श्रम को नीच समझना आदि अनेक कारण थे जिनसे हमारा समाज कमजोर बना। उन सभी कारणों के निराकरण हेतु गांधी जी ने विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम आजादी की लड़ाई के साथ-साथ ही चलाए। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, अस्पृश्यता-निवारण।

महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता-निवारण को आजादी की लड़ाई के साथ जोड़कर आजादी के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को छूआछूत मिटाने के काम में भी लगाया। इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने १९३२ में ''हरिजन सेवक संघ' की स्थापना की और देश के अधिकतर नेताओं को उसके साथ जोड़ा। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष के नाते विख्यात उद्योगपति को इस कार्य की जिम्मेदारी दी। ने बरसों तक इस संस्था का दायित्व सम्भाला। आदि अनेकों नेता अस्पृश्यता-निवारण कार्य के अगुवा बने। उस जमाने में छुआछूत का भयंकर रूप था पर गांधी जी की प्रेरणा से हजारों कार्यकर्ताओं ने इस काम का बीड़ा उठाकर अनेकों विपदाएँ झेली, असीम कष्ट भुगते और अपने उद्देश्य में काफी सफलता भी पाई।

गांधी जी बहुत अधिक महत्व देते थे, 'मंगी मुक्ति' कार्यक्रम को। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई, उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा उठाऊ-पखानों का बहाऊ पखानों में परिवर्तन आदि कार्य -हरिजन सेवक संघ द्वारा चलाए गए कार्यों में विशेष स्थान रखते थे। इसी कार्य के लिए जीवन समर्पित करने वाले गुजरात हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष पद्मश्री' से विभूषित किए गए हैं?

गांधी जी उस मन्दिर में नहीं जाते थे जहाँ अस्पृश्यतों का प्रवेश वर्जित था। उनको मन्दिरों में प्रवेश कराने के अनेकों कार्यक्रम गांधी जी की प्रेरणा से चलाए गए। केरला के वायकोम मन्दिर-प्रवेश हेतु सत्याग्रह चला जिसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को भेजा था। मदुरै के मीनाक्षी मन्दिर में प्रवेश-कार्य के लिए माता रामेश्वरी नेहरू पहुँची थीं। इस कार्य में वैद्यनाथ अय्यर आदि सेवकों को पण्डों की लाठियों का शिकार होना पड़ा था। बिहार के वैद्यनाथधाम में हरिजन भाईयों को साथ लेकर प्रवेश करने पर विनोबा जी पर पण्डों ने प्रहार किया था जिससे वे सदा के लिए श्रवणशक्ति खो बैठे थे।

गांधी जी का एक स्वप्न था कि सफाई कर्मचारी परिवार की कोई लड़की भारत के राष्ट्रपति पद को विभूषित करें। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर मुझे दुबारा जन्म लेना पड़ा तो मैं चाहूँगा कि किसी सफाई-कर्मचारी के घर जन्म लूँ?

गांधी जी भारत की आर्थिक स्वतंत्रता को निचले स्तर से शुरू करना चाहते थे। इसके लिए गांधी जी ने भी दिया ताकि गांव अपना उद्धार खुद कर सके तथा की अवधारणा प्रस्तुत हो। भारत के संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन इसी विचारधारा से प्रेरित है ।

गांधी जी के आर्थिक विचारों में मानवता सर्वोपरि स्थान ग्रहण करती है। सकल घरेलू उत्पाद तथा विकास सम्बन्धी अन्य सुचकांक तभी तक मायने रखते हैं जब तक उनसे जन-कल्याण का लक्ष्य पूरा हो सके। गांधी जी एक राष्ट्र एक युवा, एक नागरिक, एक किसान, एक छात्र को शून्यता की वरीयता से अवगत कराते हैं जिसका एकमात्र उद्देश्य मानवता की सभी परम सीमाओं को लांघकर एक आदर्श राष्ट्र का निर्माण करना है।

महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में तब १९०३ मे उन्होंने ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। गांधी जी के ट्रस्टीशिप अर्थात न्यासिता के सिद्धान्त के मूल में यह है कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है। पूंजीपति तो केवल उस संपत्ति का रखवाला है। गांधी जी का यह मानना था कि जो संपत्ति पूंजीपतियों के पास है, वह उसके पास धरोहर के रूप में है। महात्मा गांधी का कहना था कि पूंजीवाद के कारण दुनिया भर में बेरोजगारी बढ़ी है और श्रम की महत्ता कम हुई है। बेरोजगारी ने समाज की सबसे छोटी इकाई को कमजोर किया है। अगर धनवानों ने अपनी धन-दौलत और उससे प्राप्त शक्ति का स्वेच्छा से त्याग नहीं किया और आम जनता को उसके हित में साझीदार नहीं बनाया तो निश्चित रूप से एक दिन हिंसक और रक्त रंजित क्रांति हो जाएगी। महात्मा गांधी का कहना था कि इन सारी समस्याओं का समाधान ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में निहित है।'

महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति एकत्रित करता है, उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपत्ति के उपयोग करने का अधिकार है, शेष संपत्ति का प्रबंध उसे एक ट्रस्टी की हैसियत से देखभाल कर समाज कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी मानते थे कि सभी लोगों की क्षमता एक सी नहीं होती है, कुछ लोगों को कमाने की क्षमता अधिक होती है तो कुछ लोगों की कम होती है। इसलिए जिनके कमाने की क्षमता अधिक है उन्हें कमाना तो अधिक चाहिए किन्तु अपनी जरूरतों को पूरी करने के बाद शेष राशि समाज के कल्याण पर खर्च करना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार पूंजीपति और अधिक व्यवसायिक आमदनी वाले व्यक्तियों को अपनी जरूरतों को सीमित करना चाहिए तभी बची हुई आमदनी जरूरतमंदों पर खर्च की जा सकेगी।

'सर्वोदय' शब्द गांधी द्वारा प्रतिपदित एक ऐसा विचार है जिसमें : की भारतीय कल्पना, सुकरात की सत्य-साधना' और रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा' सब कुछ सम्मिलित है। गांधी जी

ने कहा था।' मैं अपने पीछे कोई पंथ या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूँ।' यही कारण है कि सर्वोदय आज एक समर्थ जीवन, समग्र जीवन, तथा संपूर्ण जीवन का पर्याय बन चुका है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का व्यक्तित्व और कृतित्व आदर्शवादी रहा है। उनका आचरण प्रयोजनवादी विचारधारा से ओतप्रोत था। संसार के अधिकांश लोग उन्हें महान राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक के रूप में जानते हैं। पर उनका यह मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है।

अत: गांधी जी का शिक्षा के क्षेत्र में भी विशेष योगदान रहा है। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। अतः गांधी जी ने जो शिक्षा के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों की व्याख्या की तथा प्रारंभिक शिक्षा योजना उनके शिक्षादर्शन का मूर्त रूप है।

अतएव उनका शिक्षादर्शन उनको एक शिक्षाशास्त्री के रूप में भी समाज के सामने प्रस्तुत करता है। उनका शिक्षा के प्रति जो योगदान था। वह अद्वितीय था। उनका मानना था कि मेरे प्रिय भारत में बच्चों को ३प्त की शिक्षा अर्थात Head and Heart की शिक्षा दी जाए। शिक्षा उन्हें स्वावलंबी बनाये और वे देश को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें ।

गांधी जी स्वभाव से ही एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अच्छे साध्य (उद्देश्य) की प्राप्ति के लिए अच्छे साधन का होना आवश्यक है। उनकी विचारधारा मैक्यावली, कार्ल मार्क्स, लेनिन, मुसोलिनी तथा हिटलर से पूर्णतया अलग थी। वे शक्ति कि राजनीति के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि हिंसा या शक्ति पर आधारित राजनीति व्यक्तिगत हितों की तो पोषक हो सकती है परन्तु सामाजिक कल्याण का साधन कभी नहीं बन सकती। उन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने जैसे साध्य की प्राप्ति अहिंसा रूपी शांतिमय साधन द्वारा ही की। उनका विचार था कि अच्छे साध्य की प्राप्ति अच्छे साधन के बिना नहीं हो सकती। इसलिए साधनों की पवित्रता पर ध्यान रखना चाहिए। गलत साधन कभी भी अच्छे साध्य का आधार नहीं बन सकते। अच्छा साधन ही अच्छा साध्य प्राप्त कर सकती है।

गांधीवाद केवल सैद्धान्तिक दर्शन ही नहीं है। वह सत्य, अहिंसावादी सैद्धान्तिक प्रश्नों पर ही विचार नहीं करता वरन? हमारे दैनिक जीवन की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभूति विषम समस्याओं का हल भी सुझाता है।

एक सम्पूर्ण जीवन दर्शन होने के कारण उसमें जीवन के सभी पक्षों का समाधान है। गांधी जी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी मान्यताएं स्वदेशी के सिद्धान्त से अनुप्रमाणित है।

गांधी जी के मतानुसार जैसे-तैसे सूत फातने या खादी पहनने-पहनाने मात्र से ही स्वदेशी धर्म का पूर्ण पालन नहीं हो जाता। स्वेदशी का अर्थ होता है निकटतम पड़ोसी की सेवा करना। स्वधर्म से पालन से परधर्मी को या पर धर्म को कभी हानि पहुंच ही नहीं सकती, न पहुंचनी चाहिए। स्वदेश का हुए बिना कोई भी व्यक्ति विश्व का नहीं हो सकता। उनकी देश सेवा तथा विश्व सेवा में मूलतः: कोई प्रतिद्वन्द्रविता नहीं है।

गांधी जी इस बात को स्वीकार करते है कि राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आर्थिक स्वतंत्रता की प्राप्ति न हो। उनके विचार में, स्वराज का तात्पर्य सुविधापूर्वक भोजन तथा कपड़े की उपलब्धि होनी चाहिए ताकि कोई उनके अभाव में भूखा तथा नंगा न रह सके। वह समानता के आधारभूत मूल्यों में विश्वास करते थे। इस प्रकार, सामाजिकता से उत्पन्न धन को समान रूप से विभाजित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक को समान रूप से कपड़ा तथा भोजन प्राप्त हो सके तथा प्रत्येक को पर्याप्त रोजगार प्राप्त हो सके। 'स्वराज' का कंन्द्र बिन्दु स्वदेशी है। जिसका तात्पर्य आत्म-सक्षमता से है। राष्ट्र के लोगों का यही उद्देश्य होना चाहिए।

यह स्वदेशी विचारधारा का ही प्रभाव था जिसने गांधी जी के विचारों में परिवर्तन ला दिया। १९४६ के वर्ष मे हम उनकों पूर्ण आत्म-सक्षमता' की वकालत या समर्थन करते पाते है। स्वदेशी के नाम पर १९४६ में मिशनरी कांफ्रेंस के समक्ष उन्होंने एक सम्भाषण प्रस्तुत किया, जहाँ पर वे आत्म-सक्षमता प्राप्त करने की दृष्टि से पृथककरण का समर्थन करते नजर आते हैं। १९०८ में गांधी ने मूल रूप से स्वराज की विचारधारा को प्रतिपादित किया।

गांधी जी वर्तमान समान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। उनका अट्ठारह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम इस तथ्य का स्पष्ट सूचक है कि वे समाज व्यवस्थाओं में पूर्ण सुधार तथा उसका पुनः निर्माण करने के लिए अत्यन्त उत्सुक थे, हालांकि उनकी इस उत्सुकता की अपनी सीमाएं थीं। गांधी जी का अट्ठारह सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम -

१. सांप्रदायिक एकता

२. अस्पृश्यता निवारण

३. मद्यपान निषेध

४. खादी

५. दूसरे ग्रामोद्योग

६. गांवों की सफाई

७. नई या बुनियादी तालिम

८. प्रौढ़ शिक्षा

९. स्त्रियों की उन्नति

१०. स्वास्थ्य और सफाई की शिक्षा

११. मातृभाषा प्रेम

१२. राष्ट्रभाषा प्रेम

१३. आर्थिक समानता

१४. किसानों का सगंठन

१५. मजदूरों का संगठन

१६. विधार्थियों का संगठन

१७. आदिवासियों की सेवा

१८. कोढ़ियों की सेवा ।

अछूत प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी केवल इस निष्किय विश्वास को ही पर्याप्त नहीं समझते है कि 'यह प्रथा बुरी है। प्रत्युत वे उसके विरुद्ध हर प्रकार का जायज तथा वैध आंदोलन चलाने की भी सलाह देते थे।'

'परन्तु इसके साथ ही वे अछूतों को यह 'नेक सलाह' देना भी नहीं भूलने थे कि जब तक सनातनी हिंदुओं का मत-परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपनी वर्तमान दशा को धेर्यपूर्वक सहन करना चाहिए ।'

'इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अछूत प्रथा के इतने तीव्र विरोधी होते हुए भी महात्मा गांधी वर्णाश्रम को ज्यों का त्यों कायम रखे जाने के पक्षपाती थे। सन १९२४ में बेलगांव में उन्होंने घोषित किया था कि वे 'जन्मना' तथा कर्मणा' दोनों ही रुपों से वर्णाश्रम में विश्वास रखते है।' गांधी जी वर्तमान असंख्य जातिभेद को मिटाकर केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध के चतुष्य विभाजन तक ही वर्ण किसी भी रुप में एक-दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है। यद्यपि उनका यह वर्ण विभाजन किसी वर्ण-विशेष का कोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता।

महात्मा गांधी मादक वस्तुओं का निषेध चाहते थे वह अनेतिकता, अनुशासनहीनता, असंयम, चारित्रिक पतन तथा दूसरी बुराइयों की ओर ले जाने वाला मानते थे। वे कहते है--'मैं शराबखोरी को चोरी और शायद व्याभिचारी से भी अधिक निंदनीय समझता हूँ। क्या यह अकसर दोनों की जननी नहीं होती ।' सन ४९३४ में उन्होंने 'यंग इंडिया' में लिखा था कि 'अगर मुझे एक घंटे के लिए सारे भारत का तानाशाह बना दिया जाए तो पहला काम मैं यह करूँगा कि तमाम शराब खानों को मुआवजा दिये बिना ही बंद करा दूगां। पारस्परिक रुप से वर्ण व्यवस्था पर स्थिर रहने के बावजूद, गांधी समाज में समानता के पोषक है।

१. गांधी, महात्मा (१९८६), *अहिंसा और सत्य,* उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि, सेवापुरी, वाराणसी, पृष्ठ-९

२. ब्राउन एम०, जुडिथ (९९०) *गांधी प्रिजनर ऑफ होप,*आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, दिल?ली, पृ०--२३८

३. पूर्वोक्त, पृ०-२४/

४. विश्वास, एस० सी० (१९६९), *गांधी: थ्योरी एण्ड प्रेक्टिस,* सोशल इसम्पेक्ट एण्ड कटेम्पेटरी रेलेवेंस, शिमला, पृ०-४२४--२५

५. ठाकुर, गौरीकांत (९८८), *महात्मा गांधी फिलॉस्फी ऑफ सत्याग्रह,* किशोर विद्या निकेतन, वाराणसी, पृ०-५

६. पूर्वोक्त, पृ०.-४२९-४३०

७. दाँतवाला, एम० एल० (१९८८), *ट्रस्टीशिप इट्स इम्पीलीकेशन*, वॉल्यूम न०:

७. ८ व ९ नवम्बर-दिसम्बर पृ०. ५०४

८. शर्मा, ब्रम्हदत्त, (२०४४) *गांधी चिन्तन में राष्ट्रवाद,* आविष्कार पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, जयपुर, पृ०-०